विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

यह प्रतिवेदन ''**खनन प्राप्तियाँ: रॉयल्टी, फीस तथा किराया का आरोपण एवं संग्रहण**'' की लेखापरीक्षा तथा वाणिज्य–कर, भू–राजस्व, वाहनों पर कर, राज्य उत्पाद तथा मुद्रांक एवं निबंधन फीस से संबंधित 35 कंडिकाओं को समाहित करता है। इस प्रतिवेदन का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 1,835.31 करोड़ है जो वर्ष 2016–17 के कर एवं कर–भिन्न राजस्व का 7.02 प्रतिशत है। संबंधित विभागों ने ₹ 1,244.35 करोड़ (लेखापरीक्षा अवलोकनों के कुल वित्तीय प्रभाव का 67.80 प्रतिशत) के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया तथा ₹ 13.78 करोड़ की वसूली की। इसके अतिरिक्त, संबंधित विभागों ने पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित लेखापरीक्षा परिणामों से संबंधित ₹ 359.00 करोड़ की वसूली की। इस प्रतिवेदन के कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन नीचे संक्षेप में दिये गए हैं।

1. सामान्य

वर्ष 2016–17 के लिए बिहार सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 1,05,584.98 करोड़ थी जिसमें से राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोतों से सृजित राजस्व ₹ 26,145.37 करोड़ (24.76 प्रतिशत) थी। भारत सरकार से प्राप्तियों का हिस्सा ₹ 79,439.61 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 75.24 प्रतिशत) जिसमें संघीय करों में राज्य का हिस्सा ₹ 58,880.59 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 55.77 प्रतिशत) तथा सहायता अनुदान ₹ 20,559.02 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 19.47 प्रतिशत) शामिल थी। कर–राजस्व जिसने 2015–16 तक वर्धमान प्रवृत्ति दिखायी थी, अप्रैल 2016 से बिहार में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध तथा 8 नवम्बर 2016 की विमुद्रीकरण के पश्चात मुद्रांक एवं निबंधन फीस की प्राप्तियों में महत्वपूर्ण ह्रास के कारण, 2016–17 में महत्वपूर्ण रूप से गिरा।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के लिए बजट अनुमान तैयार करते समय सरकारी भूमि के हस्तांतरण से प्राप्तियों तथा भूमि के अधिग्रहण से प्राप्त होने वाले स्थापना प्रभार पर विचार नहीं किया।

पत्थर खदानों का बंदोबस्ती नहीं किए जाने तथा ईंट भट्ठों एवं कार्य प्रमंडलों से अपेक्षित रॉयल्टी की वसूली नहीं होने के कारण खान एवं भूतत्व विभाग वर्ष 2013–14, 2015–16 एवं 2016–17 के दौरान बजट अनुमानों को प्राप्त नहीं कर सका।

(कंडिका 1.2)

राजस्व अर्जित करने वाले विभाग बकायों के संग्रहण के प्रगति का अनुश्रवण करने में विफल रहे, चूंकि उनके पास लंबित बकायों का डेटाबेस नहीं है।

31 मार्च 2017 तक बिक्री, व्यापार आदि पर कर, माल एवं यात्रियों पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क, वाहनों पर कर, वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क, भू–राजस्व, राज्य उत्पाद तथा अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग पर राजस्व के बकाये ₹ 6,327.12 करोड़ थे, जिसमें से ₹ 801.75 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित थे।

लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करता है कि विभागों को आवधिक समीक्षा तथा बकायों के परिसमापन के लिए लंबित बकायों का एक डेटाबेस बनाना चाहिए।

(कंडिका 1.3)

लोक लेखा समिति ने वर्ष 2011–12 से 2015–16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 11 चयनित कंडिकाओं पर चर्चा किया तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (2011–12, 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15) में सन्निहित मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग और खान एवं भूतत्व विभाग

से संबंधित 12 उप कंडिकाओं सहित, नौ कंडिकाओं, पर 19 अनुशंसाएँ दी जिन पर विभागों से कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई थी।

(कंडिका 1.4)

राजस्व अर्जित करने वाले विभाग 2,426 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सन्निहित ₹ 17,563.67 करोड़ तक के संभावित राजस्व के लेखापरीक्षा अवलोकनों को उपचारित करने में विफल रहे। यहाँ तक कि 2008–09 और आगे निर्गत किए गए, ₹ 7,197.52 करोड़ तक के संभावित राजस्व से सन्निहित 1,173 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर, जो कि कार्यालयों के प्रमुखों से निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर प्राप्त होने थे, नहीं प्राप्त हुए थे।

(कंडिका 1.5)

वित्त (अंकेक्षण) विभाग ने 2012–17 के दौरान राजस्व अर्जित करने वाले प्रमुख विभागों की 1,186 इकाइयों में से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की 52 इकाइयों, निबंधन विभाग की छः इकाइयों और उत्पाद विभाग की एक इकाई का लेखापरीक्षा किया। वित्त (अंकेक्षण) विभाग ने, विभिन्न संवर्गों में 16.33 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच, मानवबल की भारी कमी के कारण 31 मार्च 2018 तक राजस्व अर्जन करने वाले अन्य प्रमुख विभागों जैसे वाणिज्य–कर विभाग, परिवहन विभाग एवं खान एवं भूतत्व विभाग का लेखापरीक्षा निष्पादित नहीं किया।

लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करता है कि राज्य सरकार को प्रभावी आन्तरिक लेखापरीक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वित्त (अंकेक्षण) विभाग के विभिन्न संवर्गों की रिक्तियों को भरना सुनिश्चित करना चाहिए।

(कंडिका 1.6)

लेखापरीक्षा ने वाणिज्य कर, भू–राजस्व, वाहनों पर कर, राज्य उत्पाद, मुद्रांक एवं निबंधन फीस और खनिज प्राप्तियों से संबंधित 299 इकाइयों के अभिलेखों का नमूना जाँच किया तथा 3,960 मामलों में ₹ 4,550.08 करोड़ के अवनिर्धारण/कम वसूली/राजस्व की हानि का पता लगाया। इनमें से संबंधित विभागों ने 557 मामलों में ₹ 1,320.17 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया तथा ₹ 29.63 करोड़ की वसूली किया।

(कंडिका 1.7)

2. वाणिज्य–कर

कर–निर्धारण प्राधिकारियों ने 12 मामलों में ₹ 24.31 करोड़ के आवर्त्त के छिपाव का पता नहीं लगाया जिससे आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 11.17 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करता है कि विभाग को संवीक्षा मापदंडों के आवधिक पुनरीक्षण द्वारा आवर्त्त के छिपाव का पता लगाने हेतु यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यवसायियों के अन्य संबंधित अभिलेखों से रिटर्नों में दर्शाये गये आवर्त्त के विवरणों का तिर्यक जाँच हो।

(कंडिका 2.4)

कर–निर्धारण प्राधिकारी 44 व्यवसायियों के मामलों में विभिन्न वस्तुओं की बिक्री पर कर के गलत दर लगाये जाने का पता लगाने में विफल रहे जिससे ब्याज सहित ₹ 12.45 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करता है कि विभाग को एक प्रणाली विकसित करना चाहिए जिससे कर–निर्धारण प्राधिकारी आवश्यक रूप से कर के गलत दर लगाए जाने के मामलों का पता लगाने के लिए रिटर्न की संवीक्षा करे।

(कंडिका 2.5)

कर–निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा 14 व्यवसायियों के रिटर्न की संवीक्षा नहीं किये जाने तथा वैटमिस पर आईटीसी लेजर के सत्यापन नहीं किये जाने के कारण ₹ 2.09 करोड़ के आईटीसी के गलत लाभ लेने का पता नहीं लगाया जा सका, जिससे अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 9.00 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करता है कि विभाग को आईटीसी के दावों के सर्मथन में साक्ष्य जमा करना अनिवार्य रूप से विहित करना चाहिए एवं यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर–निर्धारण प्राधिकारी उनकी स्वीकार्यता की जाँच अवश्य करें। विभाग को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आईटीसी दावों को कर–निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा वैटमिस पर व्यवसायियों के आईटीसी लेजर के माध्यम से सत्यापित किया जाय।

(कंडिका 2.6)

पाँच व्यवसायियों द्वारा रिवर्स क्रेडिट की गणना नहीं किए जाने का पता लगाने में कर–निर्धारण प्राधिकारियों की विफलता के फलस्वरूप अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 6.25 करोड़ के आईटीसी की अधिक अनुमति दी गई।

(कंडिका 2.7)

कार्य संवेदकों द्वारा गलत कटौतियाँ लिए जाने का पता लगाने में कर–निर्धारण प्राधिकारियों की विफलता के फलस्वरूप ₹ 1.69 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करता है कि विभाग को कार्य संवेदकों के रिटर्नों का कर–निर्धारण अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि वर्त्तमान में, बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम/नियमावली के तहत् कार्य संवेदकों के लिए कटौतियों के दावों के समर्थन में साक्ष्य जमा करना अनिवार्य नहीं है।

(कंडिका 2.9)

स्वीकृत कर के नहीं/कम/विलंब से भुगतान किये जाने का पता लगाने में कर–निर्धारण प्राधिकारियों की विफलता के फलस्वरूप ₹ 6.27 करोड़ के कर एवं ब्याज की वसूली कम/नहीं हुई।

लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करता है कि विभाग को स्वीकृत कर के भुगतान नहीं/कम/विलंब से करने के मामलों का पता लगाने के लिए वैटमिस में एक तंत्र विकसित करना चाहिए।

(कंडिका 2.11)

क्रय/विक्रय ब्यौरों का तिर्यक जाँच करने में कर–निर्धारण प्राधिकारी के विफल होने के कारण एक व्यवसायी पर ब्याज सहित ₹ 70.82 करोड़ के क्रय–कर का आरोपण नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करता है कि विभाग को व्यवसायियों द्वारा क्रय कर से संबंधित नियमों के अनुपालन तथा इसका अनुपालन नहीं किए जाने का पता लगाना सुनिश्चित करना चाहिए।

(कंडिका 2.12)

अंतर्राज्यीय बिक्री पर वाणिज्य–कर आयुक्त के दिशा–निर्देशों का अनुपालन करने में कर–निर्धारण प्राधिकारियों की विफलता के फलस्वरूप दो व्यवसायियों से, जिन्होंने अनियमित दावा किया था, ₹ 42.75 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करता है कि विभाग को वाणिज्य–कर आयुक्त द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए तथा जो अधिकारी/कर्मचारी इन निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं उनके विरूद्ध कार्रवाई करनी चाहिए।

(कंडिका 2.15)

व्यवसायियों द्वारा अनुसूचित वस्तुओं के आयात के छिपाव का पता लगाने में कर–निर्धारण प्राधिकारियों के विफलता के परिणामस्वरूप अर्थदण्ड सहित ₹ 6.03 करोड़ के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ।

लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करता है कि विभाग, स्व–कर निर्धारित मामलों में क्रय/आयात के छिपाव का पता लगाने हेतु व्यवसायियों के अन्य संबंधित अभिलेखों के साथ आवर्त्त के तिर्यक जाँच के लिए एक प्रणाली विहित कर सकता है।

(कंडिका 2.16.1)

3. राजस्व एवं भूमि सुधार

पाँच जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों/समाहर्ताओं द्वारा भूमि के गलत बाजार मूल्य लगाये जाने के कारण भू–स्वामियों को ₹ 873.46 करोड़ के मुआवजा का कम भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करता है कि विभाग को भू–स्वामियों को भूमि के उपयुक्त बाजार मूल्य पर मुआवजा का भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए।

(कंडिका 3.3)

आपातिक प्रावधान के तहत् अधिग्रहित भूमि के 2,238 भू–स्वामियों को ₹ 132.44 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करता है कि विभाग द्वारा दिसम्बर 2013 के बाद आपातिक अधिग्रहण के मामलों में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार भू–स्वामियों को मुआवजा का भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए।

(कंडिका 3.4.1)

जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों ने भू–स्वामियों को देय शेष मुआवजे पर ₹ 17.91 करोड़ के ब्याज की कम गणना किया।

लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करता है कि विभाग को उचित प्राक्कलन तैयार कर भू–स्वामियों को देय ब्याज का भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए।

(कंडिका 3.7)

विभागीय स्वीकृति के बिना भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने और अनुवर्ती विलम्ब के परिणामस्वरूप लागत में ₹ 115.65 करोड़ की वृद्धि हुई।

लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करता है कि विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राक्कलन की स्वीकृति के पश्चात् ही शुरू किया जाए एवं लागत में वृद्धि से बचाव के लिए इसे निर्धारित समय–सीमा के अन्दर पूरा किया जाए।

(कंडिका 3.8.2)

पाँच जिलों में 1,781 प्रभावित परिवारों/भू–स्वामियों को ₹ 97.97 करोड़ के एकमुश्त पुनर्वास भत्ता और रोजगार के बदले मुआवजा से वंचित रखा गया।

(कंडिका 3.9.1)

तीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी स्थापना प्रभार की ₹ 208.92 करोड़ की राशि को सरकारी खजाने में प्रेषित करने में विफल रहे एवं दो जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों ने ₹ 81.19 लाख स्थापना प्रभार का कम आरोपण किया।

लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करता है कि विभाग द्वारा स्थापना प्रभार का अधियाची निकाय से सही ढंग से उदग्रहण एवं समय पर सरकारी खाते में जमा करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विभाग द्वारा दोषी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों के विरूद्ध जाँच कर उचित कार्रवाई करने पर भी विचार किया जाना चाहिए।

(कंडिका 3.11)

चौवालीस एकड़ सरकारी भूमि का हस्तान्तरण बिना ₹ 11.28 करोड़ के सलामी (भूमि का बाजार मूल्य) एवं लगान के संचयित मूल्य की वसूली के ही की गई थी।

लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करता है कि विभाग को सरकारी भूमि के हस्तान्तरण के पूर्व भूमि के मूल्य की वसूली को सुनिश्चित करना चाहिए।

(कंडिका 3.12)

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी औरंगाबाद द्वारा एक अधियाची निकाय से प्राप्त भू–अधिग्रहण की लागत ₹ 63.36 करोड़ को व्यक्तिगत निक्षेप खाते में जमा करने की बजाय निजी बैंक के खातों में जमा किया गया था तथा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गया ने ₹ तीन करोड़ की राशि का व्यक्तिगत निक्षेप खाते से निकासी किया, जिसके उपयोग का विवरण रोकड़ बही में अंकित नहीं किया गया था, तथा बैंक खाते में रखा गया था।

लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करता है कि वित्त विभाग के आदेशों का उल्लंघन कर बड़ी राशि को वाणिज्यिक बैंक विशेषतः निजी बैंक में रखने के कारण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरगांबाद और जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गया के विरूद्ध राज्य सरकार को समुचित कार्रवाई करने हेतु जाँच कराने पर विचार करना चाहिए।

(कंडिका 3.14.1)

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बक्सर ने 31 दिसम्बर 2016 के बाद रोकड़ बही का संधारण नहीं किया। परिणामस्वरूप जनवरी से मार्च 2017 के दौरान किये गये ₹ 51.76 करोड़ के भुगतान एवं ₹ 52.17 करोड़ के प्राप्तियों की प्रविष्टि रोकड़ बही में दर्ज नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करता है कि राज्य सरकार एक जाँच गठित कर सकती है कि क्या जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बक्सर के अधीन निधियों का दुर्विनियोजन था और दिसम्बर 2016 के बाद रोकड़ बही का संधारण नहीं करने के लिए उसके विरूद्ध उचित कार्रवाई भी आरंभ कर सकती है।

(कंडिका 3.14.2)

4. मोटर वाहनों पर कर

बाईस जिला परिवहन कार्यालयों में, 862 मोटर वाहनों के मालिकों ने ₹ 4.44 करोड़ के एकमुश्त कर तथा अर्थदण्ड का भुगतान नहीं किया।

लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करता है कि विभाग को वाहन मालिकों द्वारा एकमुश्त कर और अर्थदण्ड का भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए और सड़क पर चलने वाले चूककर्ता वाहनों को रोकने के लिए प्रवर्तन प्रभाग को उनकी चूककर्ता स्थिति के बारे में संसूचित करना चाहिए।

(कंडिका 4.3)

कर चूककर्ता वाहनों का पता लगाने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा वाहन (वाहनों के निबंधन तथा पथ कर समाधान हेतु विकसित एक एप्लिकेशन) डेटाबेस की आवधिक समीक्षा

के लिए तंत्र के अभाव के परिणास्वरूप 25 जिला परिवहन कार्यालयों में ₹ 6.68 करोड़ के मोटर वाहन करों की वसूली नहीं हुई।

लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करता है कि विभाग को शीघ्र कर का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु वाहन डेटाबेस से निकाले गए कर–चूककर्ताओं को तात्क्षणिक आधार पर माँग पत्र निर्गत किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

(कंडिका 4.4)

5. अन्य कर प्राप्तियाँ

राज्य उत्पाद

आठ उत्पाद अधीक्षकों ने मासिक अनुज्ञा शुल्क के भुगतान नहीं करने के कारण 38 समूह के उत्पाद दुकानों को निरस्त नहीं/विलंब से किया जिसके कारण ₹ 1.93 करोड़ की कम वसूली हुई।

(कंडिका 5.3)

मुद्रांक एवं निबंधन फीस

तीन निबंधन प्राधिकारियों द्वारा 18 मामलों में सम्पति के अवमूल्यन का पता लगाने में हुए विफलता के कारण ₹ 63.33 लाख के मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 5.4)

6. खनिज प्राप्तियाँ

"खनन प्राप्तियाँ: रॉयल्टी, फीस तथा किराया का आरोपण एवं संग्रहण" की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित उद्घाटित हुआ।

चूना पत्थर बिहार में पाया जाने वाला एकमात्र ज्ञात खनिज है। खनन प्राप्तियाँ राज्य की पाँचवाँ सबसे बड़ा प्राप्ति है, और इसका पिछले चार वर्षों के दौरान कुल प्राप्तियों में 2.65 से 3.82 प्रतिशत के बीच योगदान रहा।

(कंडिका 6.2.1)

मानवबल की कमी के कारण, विभाग ने अंतर्राज्यीय सीमाओं पर स्थित राज्य की छः एकीकृत जाँच चौकियों में से किसी पर भी कोई भी कार्मिक परिनियोजित नहीं किया जो कि अवैध रूप से उत्खनित खनिजों के परिवहन का पता लगाने और इसे रोकने के लिए अपेक्षित था। पुनः, विभाग ने (अक्टूबर 2016) अपने स्वयं के पदाधिकारी (खान उप निदेशक) से नीलाम–पत्र पदाधिकारी की शक्ति सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित जिला नीलामवाद पदाधिकारी को हस्तांतरित कर दिया। विभाग ने (नवम्बर 2016) ईंट भट्ठों का सत्यापन, निरीक्षण तथा ईंट भट्ठों के मालिकों से रॉयल्टी की वसूली संबंधी खनन पदाधिकारी की शक्तियाँ भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंधित अंचलाधिकारियों को हस्तांतरित कर दिया।

लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करता है कि विभाग को इन महत्वपूर्ण पदों को अविलम्ब भरने तथा अपनी शक्तियों को अपने पदाधिकारियों के माध्यम से निष्पादित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

(कंडिका 6.2.10)

जिला खनन पदाधिकारी, नवादा एवं रोहतास ने अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा पट्टे के नवीकरण के बिना खनन कार्य संचलन की जानकारी होने के बावजूद भी न

ही चूना पत्थर, अभ्रख तथा पत्थर के अवैध खनन को रोका और न ही ₹ 18.38 करोड़ के अर्थदण्ड का आरोपण किया।

लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करता है कि विभाग को दोषी विभागीय पदाधिकारियों पर उचित कार्रवाई तथा अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा पट्टे के नवीकरण के बिना हीं खनन कार्य करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

(कंडिका 6.2.11.1 तथा 6.2.11.2)

चौबीस जिला खनन पदाधिकारी, प्रपत्र 'एम' जो कि व्यवसायियों के नाम एवं पते का शपथ पत्र है एवं प्रपत्र 'एन' जो कि खनिज और इसके विक्रेता का ब्यौरा रखता है, के बिना प्रस्तुत कार्य संवेदकों के विपत्रों का भुगतान का न होना सुनिश्चित करने में विफल रहे। जिला खनन पदाधिकारी अप्राधिकृत स्रोतों से खनिज प्राप्ति के लिए ₹ 67.39 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपण में भी विफल रहे।

लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करता है कि विभाग को कार्य संवेदकों के विपत्र जो प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' के बिना प्रस्तुत किया गया हो, का गैर अदायगी सुनिश्चित करना चाहिए एवं अप्राधिकृत स्रोतो से खनिज प्राप्त करने के लिए कार्य संवेदकों पर अर्थदण्ड का आरोपण करना चाहिए। विभाग को दोषी खनन पदाधिकारियों के विरूद्ध उचित विभागीय एवं अन्य कार्रवाई भी करना चाहिए।

(कंडिका 6.2.11.3)

समाहर्ता ने दो जिलों में पूर्व के बंदोबस्ती के रद्दीकरण के बाद दूसरे उच्चतम डाकवक्ता को बालू घाटों के संचालन के लिए मौका नहीं दिया। पुनः बंदोबस्ती के पश्चात् इन बालू घाटों का परिचालन नहीं हो सका क्योंकि विभाग ने मार्च 2017 तक माइनिंग प्लान को स्वीकृत नहीं किया परिणामस्वरूप सरकार को वर्ष 2016 में ₹ 49.09 करोड़ के राजस्व का हानि हुआ।

(कंडिका 6.2.12.2)

बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली 1972 (2014 में यथा संशोधित) का नियम 54 भारतीय संविधान के प्रतिकुल है क्योंकि यह प्रावधित करता है कि खान एवं खनिज विकास पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास निधि के लिए संग्रहित निधि को राज्य के समेकित निधि में जमा करने के बदले सीधे लोक लेखा में जमा किया जाएगा। खान एवं खनिज पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास निधि का गठन नहीं करने के कारण तथा खनन क्षेत्रों में पुनर्स्थापन, सुधार तथा पुनर्वास के लिए निधि के उपयोगिता से संबंधित स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं करने के विभाग के विफलता के कारण 11 जिलों में ₹ 19.50 करोड़ का उपयोग नहीं किया जा सका, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (1) का उल्लंघन करते हुए राज्य के समेकित निधि के बदले बैंक के बचत/चालू खाते में रखा गया था। पुनः, पाँच जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा ईंट/साधारण मिट्टी के अनुज्ञप्तिधारियों से निधि के लिए ₹ 70.36 लाख की वसूली नहीं की गई।

लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करता है कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली, 1972 के नियम 54 में संशोधन करना चाहिए जिससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (1) का उल्लंघन नहीं हो। विभाग को सभी खनिज अनुदानधारकों से निर्धारित राशि कटौती कर आगे निधि में स्थानान्तरित करने हेतु सरकारी खाते में जमा करना सुनिश्चित करना चाहिए।

(कंडिका 6.2.14)

विभाग ने बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली, 1972 में बिना किसी प्राधिकार के ईंट भट्ठा मालिकों से रॉयल्टी के वसूली की शक्ति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंचलाधिकारियों को सौंप दी थी। अंचलाधिकारियों की ईंट भट्ठों की जाँच में विफलता के कारण ईंट भट्ठों से, पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में, 2016–17 के दौरान राजस्व के संग्रहण में ₹ 3.40 करोड़ की कमी हुई।

लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करता है कि विभाग को अंचलाधिकारी द्वारा ईंट भट्ठों का पर्याप्त निरीक्षण/सत्यापन सुनिश्चित करना चाहिए या राजस्व संग्रहण के कार्य को अंचलाधिकारी को स्थानान्तरित करने संबंधी निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए।

(कंडिका 6.2.15.3)